जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
बलिया

अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता हेतु
आवेदन–पत्र

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

महाविद्यालय का नाम :– .....

.....

महाविद्यालय का कोड :– .....

.

..... संकाय के अन्तर्गत ..... पाठ्यक्रम के .... के संचालन हेतु अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की आख्या।

विश्वविद्यालय के पत्रांक–जेएनसीयू0/सम्ब0–IV/ /201 दिनांक ..... द्वारा ..... को संकाय के अन्तर्गत ..... पाठ्यक्रम के ..... के संचालन हेतु अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता हेतु माननीय कुलपति जी ने निरीक्षण मण्डल का गठन किया है। निरीक्षण मण्डल के सदस्य :–

1. .....
2. .....
3. .....

निरीक्षण मण्डल के उपरोक्त सदस्यों द्वारा आज दिनांक ..... को .... संकाय के अन्तर्गत ..... पाठ्यक्रम के विषयों .... कर अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता हेतु प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत एवं उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों एवं अभिलेखों के सत्यापन तथा महाविद्यालय परिसर, भवन, भूमि आदि का स्थलीय निरीक्षण करने पर अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता हेतु आख्या निम्नवत है।

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता हेतु आवेदन–पत्र

आवेदन पत्र संख्या : जेएनसीयू0/सम्ब0–IV/ / 2019, दिनांक : , , 2018–19

1. संस्थान/महाविद्यालय का नाम–	
2. संचालन सोसायटी/ट्रस्ट का नाम–	
3. सोसायटी/ट्रस्ट के पंजीकरण/नवीनीकरण की स्थिति सप्रमाण–	
4. पाठ्यक्रम का नाम, जिसके लिये सम्बद्धता वाँछित है–	
5. जिस स्थान पर महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है उसके पास 15 किमी. की परिधि में कितने महाविद्यालय हैं?	
6. प्रस्तावित स्थान से उनकी दूरी क्या है?	
7. उस क्षेत्र में 15 किमी. की परिधि में स्थित महाविद्यालयों में क्या–क्या पाठ्यक्रम संचालित हैं?	
8. उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति विद्यमान महाविद्यालयों को देखते हुये किस सीमा तक अपूर्ण रह जाती है?	
9. क्या प्रस्तावित स्थान पर नवीन महाविद्यालय खोलने से उस क्षेत्र में विद्यमान महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु स्वीकृत छात्र संख्या पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव के प्रस्तावित नये महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में न्यूनतम 100 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?	
10. क्या विद्यमान महाविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम से सम्बद्धता की संस्तुति करने पर क्षेत्र के अन्य महाविद्यालयों पर बिना किसी कुप्रभाव के स्नातक स्तर पर 60 छात्र तथा स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 30 छात्र उपलब्ध हो सकेंगे?	
11. महाविद्यालय/संस्थान के नाम के साथ राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय, अखिल भारतीय या इसके समतुल्य नाम अंकित तो नहीं है तथा महाविद्यालय/ संस्थान का नाम जीवित व्यक्ति या जाति विशेष के नाम पर तो नहीं है?	
12. यदि महाविद्यालय पूर्व में संचालित है तो स्नातक/परास्नातक स्तर पर कितने विषयों/ पाठ्यक्रमों में कब से शिक्षण हो रहा है तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या।	
13. पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल का विवरण।	
14. यदि परास्नातक पाठ्यक्रम के निर्वाधन/अनापत्ति वाँछित है तो उससे सम्बन्धित स्नातक स्तरीय विषय की मान्यता की अवधि,	

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा–2 एफ में पंजीकरण का प्रमाण सहित विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय/संस्थान /पाठ्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र या नगर निगम क्षेत्र में संचालित होने का सप्रमाण विवरण तथा प्रस्तावित महाविद्यालय से निकटवर्ती महाविद्यालय/महाविद्यालयों का नाम जहाँ उक्त पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित हों तथा उनकी दूरी का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।	
15. <u>प्राभूत–</u>	
मानकानुसार निर्धारित प्राभूत जमा किये जाने एवं कुलसचिव के पक्ष में बन्धक किये जाने की सप्रमाण स्थिति।	
16. <u>भूमि–</u>	
(i) संस्था/महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर/वर्गमीटर में।	
(ii) उक्त भूमि का विवरण–	
(क) जनपद	
(ख) तहसील	
(ग) ग्राम	
(घ) गाटा संख्या जिसके अन्तर्गत भूमि/भूमि का भाग संस्था/महाविद्यालय के नाम अंकित है–	
(ङ) यदि भूमि किसी प्राधिकरण से लीज पर ली गयी हो तो लीज डीड में उपलब्ध भूमि के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार वर्णन।	
17. <u>भवन–</u>	
(i) वर्तमान में निर्मित भवन की स्थिति–	
(क) जनपद	
(ख) तहसील	
(ग) ग्राम	
(घ) गाटा संख्या जिसमें भवन निर्मित है।	
(ii) भवन का कुल क्षेत्रफल।	
(iii) निर्मित भवन में प्रत्येक कक्षों का माप सहित विवरण।	
(iv) भवन में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण–	
(क) विद्युत आपूर्ति	
(ख) पेयजल	
(ग) टेलीफोन	
(घ) प्रशासन	
18. <u>फर्नीचर का विवरण–</u>	
(i) शिक्षण कक्षों हेतु उपलब्ध फर्नीचर का विवरण–	
(ii) प्रशासनिक कक्षों में फर्नीचर का विवरण–	
(iii) पुस्तकालय कक्ष में फर्नीचर का विवरण–	
(iv) प्रयोगशाला कक्ष में फर्नीचर का विवरण–	

(v) क्या उक्त फर्नीचर संस्था/महाविद्यालय के स्टॉक रजिस्टर में मूल्य सहित अंकित है अथवा नहीं।	
19. <u>पुस्तकालय–</u>	
(i) पुस्तकालय हेतु क्रय की गयी पुस्तकों की विषयवार संख्या एवं क्रय मूल्यों के प्रमाणिक अभिलेख।	
(ii) प्रार्थित विषयों हेतु उपलब्ध पुस्तकें।	
(iii) पूर्ववर्ती वर्षों में उक्त में से कितनी पुस्तकें क्रय की गयी।	
(iv) वर्तमान वर्ष में क्रय की गई पुस्तकों का विवरण मूल्य सहित।	
20. <u>प्रयोगशाला–</u>	
(i) सम्बन्धित पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार क्रय किये गये उपकरणों का मूल्य सहित विवरण।	
(ii) क्या क्रय किये गये उपकरण प्रायोगिक विषय के संचालन हेतु पर्याप्त है?	
(iii) प्रयोगशाला में उपलब्ध रसायन/चार्ट्स आदि का विवरण एवं क्रय मूल्य।	
(iv) स्टॉक रजिस्टर में क्या उक्त विवरण अंकित है या नहीं?	
21. <u>प्रबन्ध समिति–</u>	
(i) प्रबन्ध समिति के गठन एवं विश्वविद्यालय से उसके अनुमोदन की स्थिति।	
(ii) सोसायटी/ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति के सदस्यों के नाम।	
22. <u>शिक्षणेत्तर क्रियाकलापों हेतु उपलब्ध आवश्यक सुविधायें–</u>	
(i) क्रीड़ा स्थल क्षेत्रफल सहित।	
(ii) क्रीड़ा सामग्री का विवरण।	
(iii) छात्रावास, यदि व्यवस्था हो तो उसका विवरण एवं विद्यार्थियों की क्षमता।	
23. <u>शिक्षण व्यवस्था–</u>	
(i) निदेशक/प्राचार्य का नाम, योग्यता व वेतनमान।	
(ii) संचालित पाठ्यक्रमों में प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त शिक्षकों का शैक्षणिक अर्हता सहित विवरण एवं नियुक्ति का प्रकार (नियमित स्थायी नियुक्ति/संविदा पर नियुक्त)।	
(iii) नियुक्त शिक्षकों में से कितने शिक्षक आयोग से चयनित हैं तथा कितने शिक्षकों की नियुक्ति पर कुलपति का अनुमोदन प्राप्त है?	
(iv) यदि किसी पाठ्यक्रम में शिक्षण हेतु नियुक्ति वर्तमान में नहीं की गयी है तो भावी योजना क्या है?	
(v) वर्तमान में शिक्षकों के वेतनादि मद में व्यय की गयी मासिक धनराशि का विवरण।	
(vi) शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या–	

	(क) तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या।	
	(ख) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या।	
24.	**<u>महाविद्यालय को संचालित कर रही संस्था की आर्थिक स्थिति–</u>**	
(i)	संस्था की आय के स्रोतों का विवरण।	
(ii)	प्रत्येक स्रोत से होने वाली आय का वार्षिक विवरण।	
(iii)	वर्तमान में संस्था के नाम बैंक खातों में जमा जनराशि का विवरण।	
(iv)	महाविद्यालय के विभिन्न खातों में जमा धनराशि का विवरण।	
25.	**<u>प्रमाण–पत्र</u>**	
	रु0 50/– के स्टॉम्प पेपर पर शपथ–प्रमाण को संस्था/महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष/सचिव तथा प्रबन्ध समिति के एक अन्य सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा नोटरी द्वारा सत्यापित हो।	
26.	निरीक्षण मण्डल की आख्यापक संस्तुति महाविद्यालय भवन की पृष्ठभूमि में निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के फोटो (चित्र)।	
27.	शासनादेश संख्या –1528/79–6–2008, दिनांक 21.07. 2009 के अनुसार :–	
(क)	महाविद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों।	
(ख)	महाविद्यालय में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखें जायॅ और यदि रखना अति आवश्यक हो तो उन्हे सुरक्षित ढंग से रखने की व्यवस्था की गयी हो।	
(ग)	महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित हो तथा कर्मचारियों एवं शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया किया जाय/ गया हो।	
(घ)	महाविद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की गयी हो। इस हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रमाण पत्र सम्बंधित अधिकारी एवं अभियंता जॉच के उपरान्त हीं प्रदान करेंगें।	
		प्रबंधक हस्ताक्षर व मुहर

सम्बद्धता हेतु संलग्न उक्त प्रोफार्मा निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से पूरित कराया जाय

01. संस्थान को अनापति (एन.ओ.सी.) कब दी गई?.....

02. तीन सदस्य पैनल का गठन कब किया गया?.....

03. महाविद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की तिथि.....

04. **भूमि :** कुल क्षेत्रफल..... वर्गमीटर एवं कुल गाटा संख्या....., तथा सभी गाटे आपस में सटे हैं अथवा नहीं?

05. **भवन :** (अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएँ) **चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों हेतु सम्बंधित निकाय के मानकानुसार भूमि एवं भवन आवश्यक है।**

1. व्याख्यान कक्ष..... माप.....
2. प्रयोगशाला कक्ष..... माप.....
3. पुस्तकालय..... माप.....
4. वाचनालय..... माप.....
5. प्राचार्य कक्ष..... माप.....
6. प्राध्यापक कक्ष..... माप.....
7. परीक्षा नियन्त्रण कक्ष..... माप.....
8. कार्यालय कक्ष..... माप.....
9. छात्रा कक्ष..... माप.....
10. शौचालय (छात्र/छात्रा अलग–अलग).....माप.....
11. जलापूर्ति (पेय जल) व्यवस्था.....

06. सोसाइटी पंजीकरण.....

07. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता का विवरण..... (अनुमोदन–पत्र, नियुक्ति–पत्र, कार्यभार ग्रहण–पत्र, संविदा–पत्र, अभ्यर्थी का शपथ–पत्र)

08. प्रबन्ध समिति का विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदन की स्थिति.....

09. प्राभूत धनराशि (संकायवार/विषयवार).....

10. पुराना महाविद्यालय होने की स्थिति में विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल (कक्षावार/विषयवार).....

फर्नीचर : कुर्सी..... मेज.....
बेंच..... डेस्क.....

12. **पुस्तकालय :**

क्रमांक	विषय	पुस्तक का नाम	पुस्तक संख्या	मूल्य

13. खेल का मैदान (माप सहित) इनडोर/आउटडोर.....

14. बाउण्ड्रीवाल.....

15. आवेदित विषय/संकाय/पाठ्यक्रम.....

16. यदि महाविद्यालय पुराना है तो पूर्व में सम्बद्धता प्राप्त समस्त पाठ्यक्रम हेतु उपलब्ध अध्यापन कक्षों की संख्या..... तथा नये पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार अध्यपान कक्षों की संख्या .....

17. यदि महाविद्यालय पुराना है तो समस्त सम्बद्धता प्राप्त विषय/संकाय/पाठ्यक्रम का नाम ..
.....
.....

18. प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/शिक्षकों एवं कर्मचारियों का बैंक से वेतन भुगतान का प्रमाण–पत्र.....

.....

19. पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अध्यापकों का विवरण (प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु अधोलिखित विवरण के अनुसार अलग–अलग सूचना देना अनिवार्य है)

1. पाठ्यक्रम का नाम :– स्नातक कला संकाय (बी0ए0)/विज्ञान संकाय (बी0एस–सी0)/ वाणिज्य संकाय (बी0काम0) इत्यादि

विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य एवं अध्यापकों की संख्या .....

क्रमांक	अध्यापक का नाम	विषय एवं पद नाम	अर्हता/जन्मतिथि	आधार नम्बर	प्रथम नियुक्ति की तिथि	अनुमोदन की स्थिति

नोटः उक्त के अतिरिक्त भी यदि अन्य कोई स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रम संचालित हो रहा हो तो उपरोक्तानुसार उन पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदति अध्यापकों का विवरण अवश्य अंकित किया जाय।

20. शासनादेश संख्या –1528/79–6–2008, दिनांक 21.07.2009 के अनुसार :–

(क) महाविद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों।

(ख) महाविद्यालय में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ न रखें जायॅ और यदि रखना अति आवश्यक हो तो उन्हे सुरक्षित ढंग से रखने की व्यवस्था की गयी हो।

(ग) महाविद्यालय में अग्निशमन यंत्र स्थापित हो तथा कर्मचारियों एवं शिक्षकों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा उपायों के लिए प्रशिक्षित किया किया जाय/ गया हो।

(घ) महाविद्यालय के भवन की मजबूती की समीक्षा सुनिश्चित की गयी हो। इस हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप सुरक्षा प्रमाण पत्र सम्बंधित अधिकारी एवं अभियंता जॉच के उपरान्त हीं प्रदान करेंगें।

अण्डर टेकिंग :

01. मैंने अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में स्वयं अभिलेखों एवं स्थल का निरीक्षण कर लिया है और मानक पूर्ण होने की स्थिति से पूर्णतः सन्तुष्ट हूँ।

01. महाविद्यालय में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में निर्धारित संख्या में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य एवं अध्यापक उपलब्ध है।

02. यदि निरीक्षण आख्या में कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो सभी सदस्य सामूहिक रूप से दण्ड के भागी होंगे।

( )	( )	( )
निरीक्षण सदस्य	निरीक्षण सदस्य	क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/ राजकीय महाविद्यालय प्राचार्य

चेक लिस्ट

अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता

1. शासनादेश दिनांक 10 जून, 2008 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर अनापत्ति/सम्बद्धता की संस्तुति हेतु गठित समिति की संस्तुति का प्रमाण।
2. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति/ट्रस्ट के **पंजीकरण एवं वैधता** की स्थिति।
3. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से सम्बन्धित **खतौनी मूल रूप** में या **छायाप्रति तहसीलदार/उप जिलाधिकारी** से प्रमाणित होने की स्थिति।
4. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का **संयुक्तता प्रमाण** पत्र एवं **नजरी नक्शा मूल रूप** में अथवा सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित प्रमाणित होने की स्थिति जिसमें **मार्ग की चौड़ाई** का मापन फीट में होने का भी उल्लेख हो।
5. महाविद्यालय नगर निगम, नगरपालिका व नगर पंचायत में अवस्थित होने की स्थिति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का **मूल प्रमाण पत्र** उपलब्ध होने की स्थिति।
6. सोसाइटी/ट्रस्ट की **विगत 3 वर्षो की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित** बैलेन्स शीट अथवा तहसीलदार द्वारा प्रमाणित **सोसाइटी की वार्षिक आय** का मूल प्रमाण पत्र।
7. मानकानुसार सोसाइटी/महाविद्यालय के बचत खाते में जमा धनराशि के सम्बन्ध में **बैंक स्टेटमेंट की मूल** प्रति।
8. मानकानुसार प्राभूत धनराशि जमा होने के सम्बन्ध में एफ0डी0आर0 की छाया प्रति की उपलब्धता की स्थिति।
9. प्रबन्धतन्त्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण/प्रविष्टियाँ तथ्यों पर आधारित एवं सही हैं, का रु0 50/– के स्टाम्प पेपर मे नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की स्थिति।
10. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यू0जी0सी0 की धारा–2(एफ) में पंजीकृत होने की स्थिति।
11. महाविद्यालय स्थापित होने के समय प्राप्त एवं संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की अनापत्ति की स्थिति।
12. स्थायी सम्बद्धता की स्थिति में **संदर्भित विषय/पाठ्यक्रम की अनापत्ति, अस्थायी सम्बद्धता एवं कक्षा संचालन की अनुमति का प्रमाण** उपलब्ध होने की स्थिति।
13. महाविद्यालय में **पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण** एवं **तीन विगत वर्षों** का परीक्षाफल।
14. महाविद्यालय में मानकानुसार कक्षों, पुस्तकालय, अध्यापक कक्ष, छात्र–छात्रा कक्ष, प्रशासनिक कक्ष, प्राचार्य कक्ष, परीक्षा एवं मीटिंग कक्षा, शौचालयों, पेयजल तथा चहारदीवारी आदि के निर्माण कराये जाने की स्थिति।
15. महाविद्यालय में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अध्यापकों का विवरण (अर्हता प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड, जन्मतिथि प्रमाणपत्र की छायाप्रति) फोटो सहित उपलब्ध कराये जाने की स्थिति।
16. फर्नीचर एवं पुस्तकों की व्यवस्था की स्थिति।
17. प्रयोगिक पाठ्यक्रम/विषय होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रयोगशालाएं स्थापित होने एवं उसमें पर्याप्त उपकरण/संयन्त्र होने की स्थिति।
18. प्रबन्ध समिति के गठन व अनुमोदन की स्थिति।
19. मानकानुसार शिक्षकों का विश्वविद्यालय के द्वारा अनुमोदन एवं नियुक्ति।
20. निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, चहारदीवारी निर्मित होने का प्रमाण पत्र व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसज्जन का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ व फोटो पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर उपलब्ध होने की स्थिति।
21. निरीक्षण मण्डल की संस्तुति।
22. विश्वविद्यालय के द्वारा सम्बद्धता दिये जाने के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति।

23. बैंक से शिक्षकों के वेतन भुगतान का बैंक द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र जिसमें महाविद्यालय के खाते से प्रत्येक शिक्षक के खाते में नियमित रूप से माहवार/शिक्षकवार वेतन भुगतान का उल्लेख हो तथा शिक्षकों के नाम, खाता संख्या एवं धनराशि का भी अंकन हो।
24. सामूहिक नकल का आरोप न होने का प्रमाण पत्र।
25. अग्निशमन व्यवस्था हेतु उपकरण की उपलब्धता के सम्बन्ध में **अद्यावधिक अग्निशमन प्रमाण पत्र** के उपलब्धता की स्थिति।
26. नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अनुरूप महाविद्यालय भवन निर्माण होने के सम्बन्ध में **अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण विभाग** या **अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग** द्वारा जारी, पत्रांक एवं दिनांक सहित प्रमाण पत्र एवं भवन का मानचित्र के उपलब्धता की स्थिति।
27. महाविद्यालय की **वेबसाइट** की उपलब्धता की स्थिति।
28. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सम्बद्धता प्रस्ताव की **सी0डी0** की उपलब्धता की स्थिति।
29. एन0सी0टी0ई0/चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों हेतु **सम्बंधित निकाय के मानकानुसार** भूमि, भवन एवं अभिलेख की स्थिति।

नोटः–

1. **कृपया सम्बंधित पाठ्यक्रम/विषयों की सम्बद्धता हेतु उपर्युक्त क्रम के अनुसार हीं पत्रावली प्रस्तुत करें।**
2. **सम्बंधित अभिलेख अनुपलब्ध होने/अपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में प्रस्ताव निरस्त होने पर समस्त जिम्मेदारी संस्था/महाविद्यालय प्रबंधन की होगी विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।**

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता हेतु शासन द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश एवं मानक

जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया से सामान्य पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति/अस्थायी/स्थायी सम्बद्धता हेतु रू0 तीन हजार मात्र एवं चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों हेतु रू0 पॉच हजार मात्र विश्वविद्यालय के शुल्क काउन्टर पर नकद जमा कर रसीद प्राप्त कर निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करना होगा। शासनादेश संख्या–3075/सत्तर–2–2002(166)/2002, दिनांक 27 सितम्बर 2002, शासनादेश संख्या–585 मु0 मं0/सत्तर–2–2005(166)/2002, दिनांक 21.10.2005 तथा शासनादेश संख्या–743 मु0 मं0/सत्तर–2–2006–2 (166)/2002, दिनांक 07 नवम्बर 2006 एवं अद्यतन संशोधन के साथ प्रभावी शासनादेश द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देश एवं मानक की शर्तों को पूर्ण करते हुए प्रपत्र सं0–1 द्वारा निर्वाधन (क्लीयरेंस)/अनापत्ति (एन0ओ0सी0) हेतु आवेदन पत्र वांछित संलग्नकों सहित कुलसचिव को प्रस्तुत करना होगा। वांछित संलग्नको के साथ पूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित दिशा–निर्देश/मानक के अनुसार प्रस्तुत किया जाए।

(1) ऐसे प्रस्ताव न प्रस्तुत किये जायँ जिनमें प्रस्तावित महाविद्यालय द्वारा अनापत्ति एवं सम्बद्धता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का कोई भी कॉलम स्पष्ट रूप से न भरा गया हो। जैसे यदि किसी कॉलम के आगे यह अंकित किया गया हो कि विवरण संलग्न है तो वह अपूर्ण आवेदन पत्र की श्रेणी में होगा, जिसे पूर्ण कराने के पश्चात् ही संगत अभिलेखों की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्ताव संस्तुति सहित शासन को भेजने हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

(2) मानकानुसार भूमि व भवन की वर्गमीटर में उपलब्धता की सुस्पष्ट सूचना एवं अभिलेख उपलब्ध कराये जायँ। यदि भूमि कई गाटों/प्लाटों में है तो सक्षम अधिकारी (ए0डी0एम0) द्वारा जारी संयुक्तता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जाय जिसमें महाविद्यालय के रास्ते की चौड़ाई का मापन फीट में होने का स्पष्ट उल्लेख हो। महाविद्यालय राजस्व अभिलेखों की मूल या छाया प्रतियाँ सम्बन्धित तहसीलदार/उप जिलाधिकारी से प्रमाणित कराके ही प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा विचार न होगा।

(3) शासन के आदेश संख्या–4954/सत्तर–2–2008–2(166)/2002, दिनांक 10 अक्टूबर, 2008 द्वारा संशोधित समय सारिणी के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा सम्बद्धता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार वॉंछित सूचनाएँ/अभिलेख उपलब्ध कराये जायेंगे। अन्यथा प्रस्ताव संस्तुत करना सम्भव नही होगा।

(4) सुसंगत शासनादेश में दिये गये प्राविधानानुसार निरीक्षण मण्डल के सदस्यों के साथ भवन का फोटोग्राफ, जिसमें भवन के चारों तरफ का फोटोग्राफ, चाहर दीवारी निर्मित होने का प्रमाण, व्याख्यान कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के सुसज्जन का निरीक्षण दल के साथ स्पष्ट फोटोग्राफ प्रस्ताव के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

(5) व्यवसायिक पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानक संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होता है। अतः ए0आई0सी0टी0ई0, एन0सी0टी0ई0 अथवा बार काउन्सिलिंग ऑफ इण्डिया की परिधि में आने वाले पाठ्यक्रमों के लिए उनके द्वारा निर्धारित मानक की पूर्ति करने पर ही अनापत्ति/सम्बद्धन हेतु आवेदन–पत्र विचार हेतु प्रस्तुत किये जाए।

(6) विधि संकाय के पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाते समय बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार ही सम्बद्धन हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जायँ तथा विशेष रूप से विधि महाविद्यालयों हेतु पहुँच मार्ग एवं आवागमन के साधन की उपलब्धता के सम्बन्ध में सुस्पष्ट सूचना/प्रमाण

पत्र उपलब्ध कराया जाय। विधि पाठ्यक्रम त्रिवर्षीय/पंचवर्षीय में से एक ही पाठ्यक्रम की सम्बद्धता हेतु अनापत्ति का आवेदन–पत्र विचारणीय होगा।

(7) उपरोक्त समस्त निर्देश/अनुबन्ध शासन के आदेशानुसार तात्कालिक प्रभाव से लागू हैं।

महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु मानक

भूमि :

नगर निगम क्षेत्र	–	5000 वर्गमीटर
नगर पालिका क्षेत्र	–	5000 वर्गमीटर
शेष क्षेत्र	–	10,000 वर्गमीटर

कृषि महाविद्यालय के लिये उपर्युक्त मानकानुसार भूमि के अतिरिक्त न्यूनतम 15 एकड़ भूमि कृषि प्रायोगिक कार्य के लिये उपलब्ध होना अनिवार्य है।

(महिला महाविद्यालय की स्थिति में उपरोक्त की आधी भूमि)

विधि महाविद्यालय (त्रिवर्षीय)	–	1200 वर्गमीटर
विधि महाविद्यालय (पंचवर्षीय)	–	1500 वर्गमीटर

1. **भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने का प्रमाण।**

अथवा

भूमि संचालक सोसायटी/ट्रस्ट के नाम होने पर **महाविद्यालय के नाम 30 साल की पंजीकृत लीज डीड – भूमि एक जगह सटी होने का प्रमाण सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा।**

2. **(क)**	**भवन :** मानक के अनुसार स्नातक कला संकाय के 07 विषय हेतु	**06 व्याख्यान कक्ष (प्रत्येक)**	85 से 90 वर्गमीटर
(ख)	स्नातक विज्ञान संकाय के 05 विषय हेतु	**04 अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष**	85 से 90 वर्गमीटर
		04 प्रयोगशाला कक्ष	80 वर्गमीटर
(ग)	स्नातक वाणिज्य संकाय हेतु	**03 अतिरिक्त व्याख्यान कक्ष**	85 से 90 वर्गमीटर
		प्रयोगशाला (प्रति विषय)	80 वर्गमीटर
		पुस्तकालय	80 वर्गमीटर
		अध्यापक कक्ष	20 वर्गमीटर
		कामन रूम	20 वर्गमीटर
	प्रशासनिक खण्ड (प्राचार्य, कार्यालय, परीक्षा कक्ष)		80 वर्गमीटर
		बरामदा	100 वर्गमीटर
		शौचालय (04 अलग–अलग)	08 वर्गमीटर
		पेयजल की सुविधा	

(घ) चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों हेतु सम्बंधित निकाय के मानकानुसार भूमि एवं भवन आवश्यक है।

3. प्राचार्य/प्राध्यापकों की अनुमोदनोपरान्त नियुक्ति, संविदा प्रपत्र प्रबन्धक एवं प्रवक्ता के फोटो सहित।
4. अध्यापक उपस्थिति पंजिका तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की वेतन एवं उपस्थिति पंजिका।
5. वेतन पंजिका तथा बैंक से भुगतान होने का प्रमाण (पूर्व से संचालित महाविद्यालय की दशा में)।
6. **प्राभूत :** महाविद्यालय के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यूनतम 3 वर्ष हेतु एफ.डी. के रूप में जमा तथा कुलसचिव के पक्ष में बन्धक हो तथा विषय/संकाय का उल्लेख एफ.डी. पर हो।
7. पुस्तकालय में पुस्तकों का एक्सेसन रजिस्टर।

8. **(क) प्रति विषय पुस्तकों का मूल्य–**	**(अनावर्तक व्यय)**	**(आवर्तक व्यय) प्रति वर्ष**
कला संकाय के अप्रायोगिक विषय हेतु	रु. 10,000/– प्रति विषय	रु. 2000/–
प्रायोगिक विषय (गणित सहित)	रु. 15,000/– प्रति विषय	रु. 2000/–
विज्ञान संकाय हेतु	रु. 20,000/– प्रति विषय	रु. 3000/–
वाणिज्य एवं विधि संकाय हेतु	रु. 50,000/– प्रति विषय	रु. 5000/–
कृषि संकाय हेतु	रु. 75,000/– प्रति विषय	रु. 7000/–
स्नातकोत्तर विज्ञान तथा कृषि संकाय हेतु	रु. 75,000/– प्रति विषय	रु. 5000/–

स्नातकोत्तर कला प्रायोगिक	रु. 45,000/– प्रति विषय	रु. 5000/–
स्नातकोत्तर कला अप्रायोगिक	रु. 35,000/– प्रति विषय	रु. 4000/–
स्नातकोत्तर वाणिज्य/विधि	रु. 50,000/– प्रति विषय	रु. 7000/–

(ख) प्रयोगशाला उपकरण/सामग्री शासनादेश के अनुसार।

(ग) **काष्ठोपकरण :** कार्यालय काष्ठोपकरण/फर्नीचर तथा काष्ठोपकरण प्रयोगशाला एवं अध्यापन कक्ष हेतु मानकानुसार, शासनादेश के अनुसार/छात्र संख्या के आधार पर।

9. **प्राभूत राशि– स्नातक – कला संकाय** – दो लाख, **विज्ञान संकाय** – तीन लाख, **वाणिज्य संकाय** – दो लाख, **कृषि संकाय** – तीन लाख, **शिक्षा संकाय** – ढाई लाख, **विधि संकाय** – त्रिवर्षीय चार लाख, पंचवर्षीय छः लाख, **स्नातक अतिरिक्त विषय** (प्रति विषय रु. पचास हजार कला संकाय, रु. पचपन हजार विज्ञान संकाय), **स्नातकोत्तर प्रति अप्रायोगिक विषय** रु. 75 हजार, **वाणिज्य** एवं **प्रायोगिक** विषय दो लाख, **बी.बी.ए.** – तीन लाख, **बी.सी.ए.** – तीन लाख।

10. सोसायटी/ट्रस्ट के खाते में संकायवार न्यूनतम धनराशि जमा होने का प्रमाण–

1.	स्नातक स्तर पर कला संकाय के सात विषयों हेतु	रु. 05.00 लाख
2.	स्नातक स्तर के प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु	रु. 01.00 लाख
3.	स्नातक स्तर के वाणिज्य संकाय हेतु	रु. 07.00 लाख
4.	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के पाँच परम्परागत विषय हेतु	रु. 10.00 लाख
5.	विज्ञान संकाय के स्नातक स्तर के प्रत्येक नवीन पाठ्यक्रम हेतु	रु. 05.00 लाख
6.	स्नातक स्तर के कृषि/बी.बी.ए./बी.सी.ए./बी.पी.ई. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख
7.	विधि (त्रिवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख
8.	विधि (पंचवर्षीय) पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख
9.	बी.एड./बी.पी.एड. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 15.00 लाख
10.	एम.एड./एम.पी.एड. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 15.00 लाख
11.	बी.ए.–बी.एड./बी.एल.एड. के प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु	रु. 10.00 लाख

11. क्रीड़ा हेतु खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की उपलब्धता मानकानुसार।

12. सोसायटी पंजीकरण एवं नवीनीकरण प्रमाण–पत्र।

13. प्रबन्ध समिति का अनुमोदन – विश्वविद्यालय द्वारा।

14. नजरी नक्शा भूमि/भवन के स्थल का, रकबा वर्गमीटर में।

15. भवन का ब्लू प्रिन्ट/नक्शा।

16. **सम्बद्धता शुल्क : बी.बी.ए. एवं बी.सी.ए. हेतु रु. 2.00 लाख प्रत्येक पाठ्यक्रम तथा अन्य संकाय हेतु रु. 1.50 लाख, अतिरिक्त विषय– अप्रायोगिक हेतु रु. 30 हजार प्रति विषय, प्रायोगिक विषय हेतु रु. 50 हजार प्रति विषय, बी0वाक0 1.50 लाख प्रति कोर्स, चिकित्सा विज्ञान–बी0ए0एम0एस0/नर्सिंग/बी0पी0टी, 1.00 लाख एवं एम0बी0बी0एस0 5.00 लाख प्रति वर्ष।**